न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 12/2020
दायर दिनांकः 15.09.2020
निर्णय दिनांक 19.05.2026

—: अनवान :—

श्री नाथू सिंह पिता भेरूसिंह जी रावत उम्र 70 वर्ष निवासी मोटागुडा ग्राम पंचायत बाघाना पंचायत समिति भीम तहसील भीम जिला राजसमंद

— निगराकार/प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती चुन्नी देवी पत्नी हीरा लाल जी भील उम्र 45 वर्ष निवासी मोटागुडा ग्राम पंचायत बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद
2. ग्राम पंचायत बाघाना जरिये सरपंच/ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत बाघाना पंचायत समिति भीम तहसील भीम जिला राजसमंद
3. ग्राम पंचायत बाघाना जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बाघाना पंचायत समिति भीम तहसील भीम जिला राजसमंद

— गैर निगराकारगण

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बाघाना के द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा सं. 09 दिनांक 20—11—2010 के संबंध में
निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट 1994
उपस्थित :—

1. श्री गिरीश चन्द्र पुरोहित, शम्भुलाल यादव, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 03 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 20.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता नाथू सिंह ग्राम मोटागुडा का निवासी है और प्रार्थी नाथू सिंह के स्वत्व अधिकार की कब्जेशुदा मौरूसी जायदाद गॉव मोटा का गुडा की आबादी में स्थित है। आज से करीब 17—18 वर्ष पूर्व प्रार्थी निगराकार नाथू सिंह ने विपक्षी संख्या एक चुन्नी देवी को रहने के लिये कोई स्थान नहीं होने से अपने हक अधिकार की पुश्तैनी जमीन में से कुछ भाग पर जो कच्चा कमरा बना हुआ था वह दे दिया, क्योकि

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विपक्षी संख्या एक निगराकार के यहां मवेशी को सम्भालने का कार्य करती थी, इसलिये प्रार्थी ने अपने मालिकाना पुश्तैनी हक के मकान व कुछ भूमि अनुमतिपूर्वक जब तक काम करेगी, रहने के लिये दे दिया। विपक्षी संख्या एक का पीहर गांव मोटागुडा में है परन्तु उसकी शादी दूसरे गाँव में हुई थी, बाद में वह गांव मोटागुडा में रहने लगी, आज से करीब 2–3 माह पहले कोरोना वायरस (Covid–19) की बीमारी का मौका देख कर प्रार्थी निगराकार की मौरूसी जायदाद में नीवे खुदवा कर पक्का निर्माण कार्य कराने लगी व उसका भाई पुनाराम भी उसका साथ देने लगा। इन लोगो को प्रार्थी ने निर्माण करने से रोका तो विपक्षी संख्या एक ने झूठा एस.सी.एस.टी. एक्ट का मुकदमा प्रार्थी/निगराकार के विरूद्ध लगा कर बताया कि उसे ग्राम पंचायत के द्वारा रेवास की जगह का पट्टा दिया व न प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ कि विपक्षी संख्या एक ने व उसके भाई पुनाराम ने मिल कर पंचायत बाघाना से न जाने किस प्रकार मिली भगत कर के प्रार्थी निगराकार की निजी जमीन पर पट्टा बनवा लिया। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत ने बिना जाँच किये फर्जी तरीके से जारी कर दिया है। विपक्षी संख्या एक फर्जी पट्टे की आड में प्रार्थी निगराकार के मालिकाना हक की भूमि पर पक्का निर्माण करने पर आमादा हो रही है। कई कारीगर मजदूरो को लगा कर निर्माण कार्य करवा रहीं है। विपक्षी संख्या एक व दो से जानकारी चाहने पर विपक्षी संख्या तीन के द्वारा दिनांक 26–06–2020 को लिखित में यह सूचना दी कि श्रीमती चुन्नी देवी पत्नी हीरा लाल जी भील निवासी मोटागुडा को जारी किये गये पट्टे की बैठक रजिस्टर की कार्यवाही में अवश्य मौजूद थी तथा पंचायत के पट्टे की प्रति मौजूद नहीं है, यानि की विधिवत पट्टा जारी नहीं हुआ, पट्टे की पत्रावली नहीं है, यानि गुपचुप तरीके से पट्टा नियमो के विपरित मनमाने तरीके से जारी किया गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि प्रार्थी–निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बाघाना के द्वारा विपक्षी संख्या एक के पक्ष में जारीशुदा पट्टा क्रमांक 09 दिनांक 20.11.2010 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखीत बहस पेश की। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी लिखीत बहस में निवेदन किया कि राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 के तहत पट्टा जारी करने की प्रक्रिया अनिवार्य है। विपक्षी संख्या 2 व 3 (ग्राम पंचायत) के पास इस पट्टे (दिनांक 20.11.2010) से संबंधित कोई पत्रावली या विज्ञापन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बिना विज्ञापन और बिना सार्वजनिक आपत्तियां मांगे जारी किया गया पट्टा शून्य(Void) माना जाता है। विवादित भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी और मौरूसी जायदाद है। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के यहाँ मवेशी संभालने का कार्य करती थी, जिस कारण उसे केवल रहने हेतु अनुमति पूर्वक स्थान दिया गया था। कानून का स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति जिसे केवल रहने की अनुमति दी गई हो, वह उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता और न ही उस पर पट्टा प्राप्त कर सकता है। विपक्षी संख्या 01 ने पंचायत से मिलीभगत कर गुपचुप तरीके से नियम विरुद्ध पट्टा संख्या 09 प्राप्त किया। सूचना के अधिकार (RTI) से स्पष्ट हुआ है कि पंचायत के पास पट्टे की प्रति या विधिवत रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, जो इसके फर्जी होने का प्रबल साक्ष्य है। यद्यपि पट्टा वर्ष

2010 का है, परंतु प्रार्थी को इसकी जानकारी जून 2020 में तब हुई जब विपक्षी ने प्रार्थी पर झूठा एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया और न्यायालय में पट्टा पेश किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, धोखाधड़ी के मामलों में मयाद की गणना जानकारी होने के दिन से की जाती है। अतः प्रार्थी की याचिका समय सीमा के भीतर है। विपक्षी संख्या 01 फर्जी पट्टे की आड़ में प्रार्थी के मालिकाना हक की भूमि पर पक्का निर्माण करने पर आमादा है। यदि इस निर्माण को तुरंत नहीं रोका गया, तो प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में संभव नहीं होगी। अतः श्रीमान् से विनम्र प्रार्थना है कि ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारीशुदा पट्टा क्रमांक 09 दिनांक 20.11.2010 को निरस्त (Cancel) फरमाया जावे और प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाये।

अधिवक्ता की लिखीत बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह अपील ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा जारी आवासीय भूमि के पट्टे दिनांक 20.11.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इस पट्टे की फोटो प्रति पत्रावली में उपलब्ध है, जिसको देखकर यह जाहिर हुआ है कि यह आवासीय भूमि का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) द्वारा विहित प्रारूप 23 क में दिनांक 20.11.2010 को ग्राम पंचायत बाघाना, पंचायत समिति भीम द्वारा जारी किया गया हैय जिसकी बुक संख्या 15 है और पट्टा संख्या 09 है। इसकी मूल प्रति अथवा सत्यापित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा भी इस पट्टे की मिसल का उपलब्ध नहीं होना बताया है। उसके द्वारा मात्र कारवाई विवरण की प्रतिकृजो कि ग्राम पंचायत बाघाना, पंचायत समिति भीम की दिनांक 20.11.2010 को आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक का कार्रवाई विवरण है, प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं है। इस ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.11.2010 के कार्रवाई विवरण के प्रस्ताव संख्या दो का अध्ययन करने पर यह जाहिर हुआ है कि 59 आवेदकों द्वारा राजस्व अभियान दिनांक 14.11.2010 में अपने पैतृक मकानों के पट्टों हेतु आवेदन किए गए। जिस पर सर्वसम्मति से विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि पंचायत में आवेदन पत्र पेश हुए हैं और पटवारी हल्का द्वारा जांच रिपोर्ट की गई। उसके बाद इसमें उन 59 आवेदकों की सूची व विवरण अंकित है, जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव में कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है कि इन सभी 59 आवेदकों को पट्टे जारी कर दिए जाएं।

साथ ही, पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अंतर्गत पैतृक मकान का पट्टा दिए जाने के लिए प्रक्रिया विहित की गई है जिसके तहत आवेदन प्राप्त किया जाना, वार्ड पंचों की कमेटी बनना, मौका निरीक्षण किया जाना, आपत्ति का आह्वान किया जाना, आपत्ति का निस्तारण किया जाना, पटवारी की रिपोर्ट लिया जाना। ये सभी आवश्यक विधिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात ही आवेदक के पात्र पाए जाने पर पट्टे दिए जाने का प्रावधान है। यहाँ पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जो यह स्पष्ट करता हो, या जो यह जाहिर करता हो कि विवादित पट्टे को जारी करने से पूर्व पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। मात्र ग्राम पंचायत को आवेदकों को पट्टा दिए जाने का कोई अधिकार नहीं है कि किसी आवेदक को ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय लिया जाकर पट्टा दे दिया जाए। ग्राम पंचायत नियमों में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कर सकती है और पट्टा जारी कर सकती है। यहाँ पर कोई भी कार्रवाई जो नियमों में विहित है, की गई हो, इसका कोई अंकन कार्रवाई विवरण में नहीं है। मात्र उसमें यह अंकन किया गया है कि आवेदकों द्वारा आवेदन किए गए हैं और पटवारी द्वारा उस पर रिपोर्ट की गई है। यहाँ तक कि उन पर पट्टा दिए जाने का निर्णय भी अंकित नहीं है। इस प्रकरण में अप्रार्थी श्रीमती चुन्नी देवी व ग्राम पंचायत बाघाना के सरपंच, विकास अधिकारी सभी अनुपस्थित रहे हैं। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश पूर्व में ही न्यायालय द्वारा दिए जा चुके हैं।

उक्त विवेचन के फलस्वरूप, मैं अपील स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रस्तुत पट्टा, जिसकी की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, को निरस्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

यहाँ पर मैं यह भी उल्लेख करना उचित समझता हूँ कि निगराकार श्री नाथू सिंह पिता भैरू सिंह को इस निगरानी याचिका के निर्णय से विवादित भूखंड पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

साथ ही, अप्रार्थी संख्या एक श्रीमती चुन्नी देवी जो कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार बीपीएल परिवार की एक महिला है और यदि वह भूमिहीन है, आवासहीन है, तो उसे ग्राम पंचायत बाघाना, पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत आबादी का कोई भी पट्टा विकास अधिकारी, पंचायत समिति भीम से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर दिए जाने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 20.11.2010 को निरस्त किया जाता हैं। अप्रार्थी संख्या एक श्रीमती चुन्नी देवी जो कि बीपीएल महिला है और यदि वह भूमिहीन है, आवासहीन है, तो उसे ग्राम पंचायत बाघाना, पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत आबादी का कोई भी पट्टा विकास अधिकारी, पंचायत समिति भीम से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर दिए जाने हेतु स्वतंत्र रहेगी। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बाघाना तथा विकास अधिकारी भीम को भिजवाई जावें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 19.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद